

◆ पुलिस मुठभेड़ में बावरिया गिरोह का 01 शातिर अपराधी घायल सहित 03 गिरफ्तार

◆ जनपद में ज्वेलर्स की दुकानों में चोरी घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में कीमती आभूषण बरामद

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में विगत दिनों घटित घटनाओं के सफल अनावर हेतु लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर श्री विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा श्री धुराज के पर्यवेक्षण में थानाप्रभारी बलुआ डॉ० आशीष कुमार मिश्र व एसओजी चन्दौली के प्रभारी उ०नि० आशीष मिश्र अपनी टीम के साथ दिनांक 20.01.2025 को चहनिया चौराहे पर मौजूद थे, कि उसी दौरान सूत्रों से खबर प्राप्त हुयी कि बावरिया गिरोह के कुछ लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में डाक बंगला मथेला के दीवार के पास गेहूँ के खेत में सड़क के किनारे साइकिल के साथ मौजूद हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा चौकी प्रभारी मारूफपुर तरूण पाण्डेय, चौकी मोहरगंज के उ०नि० अमरनाथ साहनी व चौकी प्रभारी कैलावर उ०नि० अनिल कुमार यादव के साथ डाक बंगला मथेला पहुँचे, जहाँ एक दीवार के किनारे कुछ लोग छिपकर बैठे थे। पुलिस टीम को अचानक देखकर बैठे व्यक्ति भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी दिये जाने पर भाग रहे बदमाशों ने उ०नि० अनिल कुमार यादव पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। जिसके बाद पुलिस टीम आत्मरक्षा जबावी कार्यवाही में एक बदमाश गोली लगने से घायल होकर वहीं गिर गया। मौके पर साइकिल से भाग रहे दो बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया। जिसमें एक घायल बदमाश की तलाशी के दौरान कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व कुल 2500 रूपया बरामद किया गया। बदमाश के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी थी। जिसकी पहचान 1. धारा सिंह पुत्र टिकू राम उर्फ टीकू जी कावड़िया निवासी भोजपुर थाना कादरचौक जनपद बदायूं उम्र करीब 45 वर्ष के रूप में हुयी।

बदमाश की साइकिल पर टंगे प्लास्टिक झोला से 1. पाजेब एक जोड़ी, 2. कमरपेटी एक अदद मटमैले रंग में इस्तेमाली, 3. एक अदद छोटा लोटिया 4. एक जोड़ी हाथ का कड़ा, 5. मोटी पतली पाँच अदद चैन, 6. विभिन्न वजन व डिजाइन की 12 जोड़ी पायल, 7. तीन अलग अलग डिजाइन की सिंगल पायल 8. बचकानी कड़ा चार जोड़ी, 9. बालचोटी एक अदद, 10. हाथ का पंजा तीन अदद, 11. चाभी छल्ला एक अदद, 12. एक अदद चाँदी का सिक्का 1912 लिखा, 13. एक अदद ब्रेसलेट, 14. लाकेट, पैर की बिछिया व अंगुठी व एक ताबीज व अलग अलग डिजाइन की ताबीज, 15. एक अदद पीली धातु की कील अलग पन्नी में रखी तथा इसी झोले में एक अदद छोटी हथौड़ी मय लकड़ी के के बेट की, एक अदद लोहे की रेती पीले रंग का बेट लगा, एक अदद पिलास बरामद किया गया।

मुठभेड़ के दौरान पकड़े गये दो अन्य बदमाशों की पहचान-

2. भगीरथ पुत्र बालकिशुन निवासी पछड़्या बनारसीदास थाना कोतवाली जनपद औरयां उम्र 40 वर्ष के रूप में हुयी। जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिन्दा कारतूस 315 व कुल 1570 रूपये व एक साइकिल जिस पर टंगे झोले से 1. एक जोड़ी पाजेब 2. एक चाँदी की चैन. 3. दो अदद चाँदी का कमरबन्द, 4. दो जोड़ी बचकानी कड़ा, 5. दो अदद ब्रेसलेट, 6. पैर की पैजनी दो अदद, 7. पतली चैन दो अदद, 8. एक अदद बाल की क्लिप चैन युक्त, 9. एक अदद गिलास छोटा, 10. चार अदद बाल का क्लिप 11. एक अदद सिक्का 1884 लिखा, 12. बिछिया व अंगुठी कुल 107 अदद, 13. कान का टप्स 16 अदद, 14. ताबीज व लाकेट 19 अदद, 15. दो अदद पायल 16. हुक व टप्स छोटा छोटा अलग अलग तथा उसी झोले में बड़ा पेंचकस लगभग 36 सेमी, एक अदद हथौड़ा 27 सेमी का बेंत फल की लम्बाई 10.5 सेमी, पाइप लोहे की 37 सेमी एक इंच वाली, एक अदद पाइप मोटा 32 सेमी, लकड़ी के दो गुटके (एक तिकोना व एक चौकोर) तथा एक अदद सुम्मी 11 सेमी लोहे की बरामद हुयी।

3. सुनील पुत्र धारा सिंह निवासी भोजपुर थाना कादरचौक जनपद बदायूं उम्र करीब 22 वर्ष के रूप में हुयी, जिसके कब्जे से कुल 930 रूपया, एक साइकिल जिस पर टंगे झोले से 1. एक जोड़ी पैर का कड़ा 2. एक अदद चैन लाकेट, 3. एक जोड़ा बचकानी कड़ा, 4. एक अदद ब्रेसलेट, 5. बिछुआ, अंगुठी, टप्स व लाकेट कुल 24 अदद तथा काली पालीथीन में सफेद धातु के निम्नलिखित सामान मिले जिनका विवरण हस्व जैल है- 1. सफेद धातु के तीन जोड़ी पायल पुराना इस्तेमाली व दो जोड़ी बिछिया। तथा उसी झोले में रखा एक अदद गुलेल हरे रंग की, पाँच बोल्ट लोहे का, एक अदद छोटा पिलास, एक अदद खुरपी, दो अदद लकड़ी का छोटा छोटा गुटका बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग घूम घूम कर भिन्न-भिन्न जगहों पर फेरी लगाकर दिन में कम्बल बेचने के बहाने से दुकानों की रेकी करते हैं तथा रात में चिन्हित स्थानों पर खासकर सोने चाँदी के दुकानों में शटर आदि तोड़कर चोरी कर लेते हैं। जहाँ चोरी कर लेते हैं वहाँ से भाग कर फिर दूसरी जगह ऐसा ही करते हैं। आज भी हम लोग पूर्व में चोरी किये गये माल का बटवारा करने व सकलडीहा बाजार में चोरी करने की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे कि हम तीन लोग पकड़े गये तथा हम लोगों के साथ 1. खेम सिंह पुत्र सुखदेव 2. छविराम पुत्र डोंगर लाल 3. विद्या पुत्र मौफी राम 4. नरेश पुत्र जियाराम समस्त निवासीगण ग्राम भोजपुर थाना कादर चौक जनपद बदायूँ भी थे जो अभी अभी हम लोगों का साथ छोड़कर रात में अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं तथा यह जो जेवर बरामद हुआ है।

■दिनांक 12.01.2025 को दो से तीन बजे के बीच रात्रि में मोहरगंज बाजार में गहने की दुकान का दरवाजा तोड़कर चुराये थे

■दिनांक 07.01.2025 को चन्दौली कस्बे से हम लोग सुनार की दुकान में सेंध लगाकर चोरी किये थे।

■दिनांक 11.12.2024 की रात में एक से तीन बजे के बीच मजिदहा बाजार में सोने चाँदी की दुकान में पीछे के रास्ते से उतर कर दरवाजा तोड़कर तथा दीवार को ईट निकाल कर चोरी किये थे।

■दिनांक 07.12.2024 की रात में जनपद गाजीपुर के सैदपुर के पास भीमापार बाजार में गहने की दुकान से चोरी किये थे।

सभी जगह से चोरी किये गये गहनों में से कुछ गहना हम लोग राह चलते राहगीरों को बेचकर अपने अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसे ले लिये थे। हम लोगों के पास से जो पैसे आप लोग बरामद किये हैं वह उसी का है तथा हम लोगों के जो अन्य चार साथी मौके से भाग गये हैं उनके पास भी सभी चोरियों से सम्बन्धित काफी मात्रा में जेवर व पैसे हैं।

पकड़े गये व्यक्तियों को उनके द्वारा कारित जुर्म अन्तर्गत मु0अ0सं0-16/25 धारा 109(1)/313/317(2)/115(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स पंजीकृत कर करीब 02.10 बजे गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त धारा सिंह पुत्र पुत्र टिकू राम उर्फ टीकू जी कावड़िया निवासी भोजपुर थाना कादरचौक जनपद बदायूँ उम्र करीब 45 वर्ष को चिकित्सकिय उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-16/25 धारा 109(1)/313/317(2)/115(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स थाना बलुआ

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-05/25 धारा 331 (4) / 305 (ए) बीएनएस थाना बलुआ

मु0अ0सं0- 248/24 धारा 331(4)/305 (ए) बीएनएस थाना बलुआ

मु0अ0सं0- 07/25 धारा 331(4)/305 (ए) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317 (2) बीएनएस थाना चन्दौली

मु0अ0सं0-16/25 धारा 109 (1)/313/317(2)/115 (2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली

सहित विभिन्न जनपदों में आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. धारा सिंह पुत्र पुत्र टिकू राम उर्फ टीकू जी कावड़िया निवासी भोजपुर थाना कादरचौक जनपद बदायूँ उम्र करीब 45 वर्ष (पुलिस मुठभेड में घायल)

2. भगीरथ पुत्र बालकिशुन निवासी पछड़्या बनारसीदास थाना कोतवाली जनपद औरयां उम्र 40 वर्ष

3. सुनील पुत्र धारा सिंह निवासी भोजपुर थाना कादरचौक जनपद बदायूँ उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी विवरण-

03 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, लगभग कुल 5000 रु0 नकद व 03 साइकिल सहित चोरी के :-

1. पाजेब एक जोड़ी, 2. कमरपेटी एक अदद मटमैले रंग में इस्तेमाली, 3. एक अदद छोटा लोटिया 4. एक जोड़ी हाथ का कड़ा, 5. मोटी पतली पाँच अदद चैन, 6. विभिन्न वजन व डिजाइन की 12 जोड़ी पायल, 7. तीन अलग अलग डिजाइन की सिंगल पायल 8. बचकानी कड़ा चार जोड़ी, 9. बालचोटी एक अदद, 10. हाथ का पंजा तीन अदद, 11. चाभी छल्ला एक अदद, 12. एक अदद चाँदी का सिक्का 1912 लिखा, 13. एक अदद ब्रेसलेट, 14. लाकेट, पैर की बिछिया व अंगुठी व एक ताबीज व अलग अलग डिजाइन की ताबीज, 15. एक अदद पीली धातु की कील

2.1. एक जोड़ी पाजेब 2. एक चाँदी की चैन 3. दो अदद चाँदी का कमरबन्द, 4. दो जोड़ी बचकानी कड़ा, 5. दो अदद ब्रेसलेट, 6. पैर की पैजनी दो अदद, 7. पतली चैन दो अदद, 8. एक अदद बाल की क्लिप चैन युक्त, 9. एक अदद गिलास छोटा, 10. चार अदद बाल का क्लिप 11. एक अदद सिक्का 1884 लिखा, 12. बिछिया व अंगूठी कुल 107 अदद, 13. कान का टप्स 16 अदद, 14. ताबीज व लाकेट 19 अदद, 15. दो अदद पायल 16. हुक व टप्स छोटा छोटा अलग अलग तथा उसी झोले में बड़ा पेंचकस लगभग 36 सेमी, एक अदद हथौड़ा 27 सेमी का बेंत फल की लम्बाई 10.5 सेमी, पाइप लोहे की 37 सेमी एक इंच वाली, एक अदद पाइप मोटा 32 सेमी, लकड़ी के दो गुटके (एक तिकोना व एक चौकोर) तथा एक अदद सुम्मी 11 सेमी लोहे की बरामद हुयी।

3.1. एक जोड़ी पैर का कड़ा 2. एक अदद चैन लाकेट, 3. एक जोड़ा बचकानी कड़ा, 4. एक अदद ब्रेसलेट, 5. बिछुआ, अंगुठी, टप्स व लाकेट कुल 24 अदद तथा काली पालीथीन में सफेद धातु के निम्नलिखित सामान मिले जिनका विवरण हस्व जैल है- 1. सफेद धातु के तीन जोड़ी पायल पुराना इस्तेमाली व दो जोड़ी बिछिया। तथा उसी झोले में रखा एक अदद गुलेल हरे रंग की, पाँच बोल्ट लोहे का, एक अदद छोटा पिलास, एक अदद खुरपी, दो अदद लकड़ी का छोटा छोटा गुटका बरामद किया गया।

घटना का अनावरण पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक डॉ० आशीष कुमार मिश्र

उ०नि० जमीलुद्दीन खान,

उ०नि० चन्द्रप्रताप सिंह,

हे०का० अमित कुमार सिंह,

हे०का० प्रमोद यादव

एसओजी चन्दौली के प्रभारी उ०नि० आशीष मिश्र

हे०का० अरविन्द भारद्वाज,

हे०का० आनन्द सिंह,

हे०का० राणाप्रताप सिंह,

हे०का० विजेन्द्र सिंह,

हे०का० रामानन्द यादव,

हे०का० राजेश यादव

सर्विलांस टीम के का० अजीत सिंह

का० नीरज मिश्रा,

उ०नि० संतोष कुमार तिवारी

का० विजय कुमार गौड़,

चौकी प्रभारी मारूफपुर तरूण पाण्डेय

नन्दगोपाल उपाध्याय,

चौकी मोहरगंज उ०नि० अमरनाथ साहनी

हे०का० राजबहादुर सरोज

चौकी प्रभारी कैलावर उ०नि० अनिल कुमार यादव

हे०का० ओमप्रकाश यादव